http://abcaus.in

कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1718025 दिनांक 16-08-2017

पत्र संख्या–स0द0जीएसटी/माल परिवहन/17–18/ 1168 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0
(सचलदल अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त, 2017

समस्त
जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1/
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0)/
संयुक्त आयुक्त(कार्यपालक/वि0अनु0शा0/कार्पोरेट)/
उप आयुक्त/असिस्टेन्ट कमिश्नर/राज्य कर अधिकारी

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 68 के प्राविधानों के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य के माल का परिवहन कर रहे वाहन के प्रभारी व्यक्ति को परिवहन के दौरान माल के साथ राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र रखा जाना अनिवार्य किया गया है तथा किसी प्रॉपर आफिसर को ऐसे वाहन को रोककर ऐसे प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्देश देने एवं ऐसे माल की जांच का अधिकार दिया गया है।

उक्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति संख्या क0नि0–2–1014/ग्यारह–9(52)/17–उ0प्र0अधि0–1–2017–आदेश–(31)–2017 दिनांक 21 जुलाई, 2017 द्वारा अलग–अलग परिस्थितियों में माल के संचलन या अभिवहन भण्डारण में होने पर माल के साथ ई–वे–बिल 01, ई–वे–बिल 02, ई–वे–बिल 03 एवं टी0डी0एफ0–01 रखा जाना विहित किया गया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली 2017 के प्राविधानों के अनुसार पंजीकृत कराधेय व्यक्ति द्वारा करयोग्य माल की सप्लाई हेतु 3 प्रतियों में टैक्स इनवायस जारी किये जाने का प्राविधान करते हुए द्वितीय प्रति ट्रान्सपोर्टर हेतु विहित की गयी है।

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 तथा केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 129 के प्राविधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अधिनियम अथवा नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए माल का परिवहन अथवा परिवहन के दौरान माल का भण्डारण करता है तो ऐसे माल तथा ऐसे माल के परिवहन के लिए प्रयुक्त परिवहन का साधन (वाहन) एवं माल से सम्बंधित प्रपत्रों को डिटेन या अभिग्रहीत किया जा सकेगा तथा डिटेन्शन अथवा अभिग्रहण से पूर्व इस सम्बंध में परिवहन कर रहे व्यक्ति को डिटेन्शन या अभिग्रहण सम्बंधी आदेश प्राप्त कराया जायेगा तथा माल एवं वाहन के डिटेन्शन या अभिग्रहण के पश्चात् देयकर एवं देयकर के सौ प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड की धनराशि जमा कराकर अवमुक्त की जायेगी यदि माल स्वामी स्वयं ऐसे कर व अर्थदण्ड के भुगतान हेतु सामने आता है। माल स्वामी के कर व अर्थदण्ड के भुगतान हेतु सामने न आने पर देयकर एवं माल के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर अर्थदण्ड की राशि जमा कराकर माल अवमुक्त किया जायेगा। माल के मूल्य के समतुल्य का बान्ड प्ररूप जी0एस0टी0 आईएनएस–04 में एवं देयकर, ब्याज व अर्थदण्ड की धनराशि के समतुल्य की

http://abcaus.in

जमानत बैंक गारन्टी के रूप में जमा कर देने पर अनन्तिम रूप से माल अवमुक्त किये जाने का प्राविधान धारा 67(6) तथा माल एवं सेवाकर नियमावली 2017 के नियम 140 में किया गया है। नियम 140 के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया है कि देयकर में, केन्द्रीय कर व राज्य कर तथा सेस (यदि कोई हो), सम्मिलित माना जायेगा। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर नियमावली 2017 के नियम 141 में यह प्राविधान किया गया है कि यदि अभिग्रहीत माल या सामान शीघ्र नष्ट होने वाला या खतरनाक किस्म का है तो कराधेय व्यक्ति ऐसे माल या सामान के बाजार मूल्य के बराबर की धनराशि या देयकर, ब्याज या अर्थदण्ड जो ऐसे माल या सामान पर कराधेय व्यक्ति द्वारा देय है या देय होगा, में से जो कम है, जमा कर देता है तो ऐसा माल या सामान प्ररूप जीएसटी आईएनएस–05 में आदेश पारित करते हुए तुरन्त अवमुक्त किया जा सकेगा।

माल को डिटेन अथवा अभिग्रहण करने वाले प्रॉपर आफिसर द्वारा देयकर और अर्थदण्ड की धनराशि विनिर्दिष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 129 (3) के अन्तर्गत नोटिस जारी की जायेगी तथा सम्बंधित व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त धारा 129(1) के प्राविधानों के अनुसार देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि निर्धारित करते हुए आदेश पारित किया जायेगा। उपरोक्त आदेश में निर्धारित देयकर एवं अर्थदण्ड की धनराशि का भुगतान कर दिये जाने पर धारा 129(3) के अन्तर्गत जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट समस्त कार्यवाही समाप्त समझी जायेगी।

माल का परिवहन करने वाले व्यक्ति अथवा माल स्वामी द्वारा उपरोक्तानुसार धारा 129(1) में निर्धारित देयकर व अर्थदण्ड की धनराशि जमा न किये जाने की स्थिति में धारा 130 के प्राविधानों के अन्तर्गत माल अथवा वाहन की जब्ती की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

धारा 130 के प्राविधानों के अन्तर्गत इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी यदि कोई व्यक्तिः–

(i) इस अधिनियम के उपबन्धों या उसके अधीन निर्मित नियमों के किसी उल्लंधन में माल की पूर्ति या प्राप्ति कर संदाय के अपवंचन के आशय से करता है; या

(ii) किसी माल के लिए लेखा नहीं रखता है जिस पर वह उस अधिनियम के अधीन कर संदाय के लिए दायी है; या

(iii) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किये बिना इस अधिनियम के अधीन करयोग्य किसी माल की पूर्ति; या

(iv) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों या तद्धीन बने नियमों का उल्लंघन कर संदाय के अपवचंन के आशय से करता है; या

(v) इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन में माल को ढोने के लिए परिवहन के रूप में किसी प्रवहण का प्रयोग करता है जब तक कि प्रवहण का प्रधान यह सिद्ध न कर दे कि उसका या उसके एजेन्ट के बिना जानकारी या गठजोड़ के यह कार्य हुआ है,

तब ऐसा सभी माल या प्रवहण जब्ती के लिए दायी होगा और वह व्यक्ति अधिनियम की धारा 122 के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा।

http://abcaus.in

किसी माल अथवा वाहन की जब्ती (confiscation) इस अधिनियम के प्राविधानों द्वारा अधिकृत होने की स्थिति में जब्ती करने वाला अधिकारी जब्ती के स्थान पर ऐसा जुर्माना जो उक्त अधिकारी ठीक समझे जमा करने का विकल्प दे सकेगा किन्तु जुर्माने की धनराशि माल के बाजार भाव में से उस पर देयकर को घटाते हुए अवशेष धनराशि से अधिक नही होगी किन्तु ऐसे जुर्माने एवं अर्थदण्ड की धनराशि का योग धारा 129(1) के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड की धनराशि से कम नही होगी। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि वाहन का प्रयोग भाड़े पर यात्रियों या माल को ढोने के लिए किया जाता है तो वाहन स्वामी को वाहन की जब्ती के स्थान पर माल पर देयकर के समतुल्य जुर्माना जमा करने का विकल्प दिया जायेगा। जहां माल अथवा वाहन की जब्ती के विरुद्ध कोई जुर्माना आरोपित किया गया है वहां माल स्वामी अथवा वाहन स्वामी या ऊपर वर्णित (i) से (v) में लिप्त व्यक्ति ऐसे माल एवं वाहन के सम्बंध में उक्त जुर्माने के अतिरिक्त देय कर, अर्थदण्ड और देय शुल्क के लिए दायी होगा। व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना माल या वाहन की जब्ती या अर्थदण्ड लगाने का आदेश पारित नही किया जायेगा। माल एवं सेवाकर अधिनियम के अन्तर्गत जब कोई माल या वाहन जब्त कर लिया जायेगा तो उस पर मालिकाना हक सरकार का होगा। जब्ती करने वाला प्रापर आफिसर ऐसे जब्त किये गये वस्तुओं को अपने कब्जे में लेगा और ऐसे प्रापर आफिसर की मांग पर पुलिस का प्रत्येक अधिकारी ऐसा कब्जा लेने व रखरखाव में उसका सहयोग करेगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर कि जब्त किये गये माल अथवा वाहन की इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अन्य कार्यवाही के लिए आवश्यकता नही है तथा जब्ती के एवज में जुर्माना अदा करने के लिए उचित समय, जो तीन माह से अधिक नहीं होगा, प्रदान करते हुए प्रापर आफिसर उस माल अथवा वाहन की नीलामी करेगा और इस तरह बिक्री से प्राप्त धनराशि को सरकारी खजाने में जमा करेगा।

जी0एस0टी0 काउंसिल के निर्णय के अनुसार ई–वे बिल व्यवस्था अभी स्थगित रखी गयी है तथा माल एवं सेवा कर नियमावली 2017 के नियम 138 द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से राज्य सरकारों को माल के परिवहन के साथ ऐसे अभिलेख विनिर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त नियम 138 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 21–07–2017 से माल परिवहन या अभिवहन भण्डारण के दौरान माल के साथ रखे जाने वाले ई–वे बिल को विज्ञापित किया है तथा यह विज्ञप्ति दिनांक 16.08.2017 से प्रभावी है।

कार्यालय आदेश संख्या–278 दिनांक 01–07–2017 द्वारा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 व 130 के अन्तर्गत सचलदल इकाइयों, वि0अनु0शा0 इकाइयों एवं खण्ड कार्यालयों में तैनात राज्य कर अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं उप आयुक्त को धारा 129 व धारा 130 के प्रयोजनार्थ प्रॉपर आफिसर नियत किया गया है। एतद्द्वारा उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 01–07–2017 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सचलदल इकाइयों में तैनात उप आयुक्त, सहायक आयुक्त एवं राज्य कर अधिकारी को माल के परिवहन के दौरान जांच हेतु रोके जाने (इण्टरसेप्शन) हेतु अधिकृत किया जाता

http://abcaus.in

है। खण्डों में तथा वि0अनु0शा0 इकाइयों में तैनात उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी अथवा अन्य किसी अधिकारी को इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है कि उनके द्वारा माल के परिवहन के दौरान माल व वाहन की जांच नियन्त्रक संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) अथवा संयुक्त आयुक्त (वि0अनु0शा0) द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही की जायेगी। प्रदेश में एकरूपता की दृष्टि से माल के परिवहन के दौरान माल व वाहन की जांच की प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है।

1. परिवहन के दौरान माल/वाहन की जांच करने वाले अधिकारी द्वारा वाहन रोके जाने (इण्टरसेप्ट) पर सम्बन्धित उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त/राज्य कर अधिकारी द्वारा अपने सी0यू0जी0 नम्बर से मोबाइल नम्बर 9935901889 पर निम्न सिन्टेक्स के अनुसार मैसेज प्रेषित किया जायेगा।

ctxup<space>DET<space><Vehicle Number><Code of reason of Interception>

2. 'Reason of Interception' का कोड निम्नानुसार है:–

Code No	Description of Interception
1	for unaccompanied by E-Way bill
2	for unaccompanied by TDF for through goods
3	for goods other than declared in E-Way bill/TDF
4	for goods unaccompanied by Tax invoice/Bill of supply
5	for undervalued goods
6	for goods not traced to bonafide dealer
7	for any other reason

'Reason of Interception' का कोड **HELP SMS** के माध्यम से उपर्युक्त मोबाइल नंबर पर निम्न Syntax को प्रेषित करके प्राप्त किया जा सकेगा।

ctxup<space>DET<space><HELP>

3. उपर्युक्त बिन्दु सं0–1 के अनुसार, SMS भेजने पर संबंधित अधिकारी के मोबाइल पर छः डिजिट का Interception नम्बर प्राप्त होगा जिसे Interception मेमो के शीर्ष भाग में पृष्ठ के मध्य (बीचोबीच) में मूल एवं द्वितीय प्रति पर निम्न प्रकार अंकित किया जाएगा :–

इण्टरसेप्शन नम्बर

4. पंजी–5 की आनलाइन इन्ट्री के समय Interception नम्बर डालने के उपरान्त ही प्रविष्टि की जा सकेगी।

5. यदि किसी कारण से Interception नम्बर SMS से प्राप्त नहीं होता है तो दोबारा SMS कर प्राप्त किया जा सकता है।

http://abcaus.in

6. Interception मेमो पूर्ववत् जिल्दबंद एवं क्रमांकित Interception मेमो बुक से ही जारी किया जाएगा।

7. उदाहरण के तौर पर अगर वाहन संख्या UP32XY1086 बिना ई–वे बिल के माल आयात करता हुआ पाया जाता है तो उपर्युक्त बिन्दु–1 के अनुसार डिटेन्शन नम्बर प्राप्त करने हेतु SMS निम्न प्रकार से भेजा जाएगाः–

ctxup<space>DET<space>< UP32XY1086><space>< 1 >

SMS के माध्यम से Interception Number प्राप्त कर प्रयोग करने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जायेगी।

Interception Book जब तक नयी छपवाकर उपलब्ध नहीं होती है तब तक पूर्व में प्रयोग की जा रही डिटेन्शन मेमो बुक का प्रयोग डिटेन्शन को काट कर उसके स्थान पर Interception शब्द प्रयोग किया जायेगा। वाहन के Interception के दो घण्टे के अन्दर उक्त Interception मेमो SMS से प्राप्त Interception Number डालते हुए वाहन प्रभारी व्यक्ति/वाहन चालक को प्राप्त करायी जायेगी। Interception Memo का प्रारूप संलग्न के अनुसार होगा।

माल एवं वाहन के इण्टरसेप्शन(interception) के 24 घण्टे के अन्दर वाहन को इण्टरसेप्ट करने वाले अधिकारी द्वारा रिपोर्ट निम्नवत प्ररूप पार्ट–ए में तैयार की जायेगी तथा यदि वाहन का विस्तृत भौतिक सत्यापन अपेक्षित है तो उक्त 24 घण्टे की अवधि के अन्दर ही नोटशीट के माध्यम से पत्रावली सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/कार्यपालक) को अग्रसारित करते हुए विस्तृत भौतिक सत्यापन की अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा अनुमति प्राप्त कर अगले 48 घण्टे (वाहन रोके जाने से कुल 72 घण्टे) के अन्दर विस्तृत भौतिक सत्यापन करते हुए सम्बन्धित रिपोर्ट का पार्ट–बी तैयार किया जायेगा। जहां विस्तृत भौतिक सत्यापन अपेक्षित नहीं है अथवा विस्तृत भौतिक सत्यापन वाहन रोके जाने के 24 घण्टे के अन्दर ही कर लिया गया है वहां सत्यापन रिपोर्ट का पार्ट–ए व पार्ट–बी 24 घण्टे के अन्दर ही तैयार कर लिया जायेगा।

सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार जो माल वैध ई–वे बिल से आच्छादित नहीं पाया जायेगा अथवा वैध ई–वे बिल/टी0डी0एफ0/टैक्स इन्वाइस/बिल आफ सप्लाई से आच्छादित नहीं पाया जायेगा अथवा धारा 130 में वर्णित किसी कारण से जब्ती योग्य पाया जायेगा तो ऐसे माल अथवा वाहन अथवा दोनों को धारा 129 के प्राविधानों के अन्तर्गत संलग्न प्ररूप में अभिग्रहण आदेश पारित करते हुए अभिग्रहीत किया जायेगा एवं साथ ही साथ अभिग्रहण के फलस्वरूप देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि इंगित करते हुए नोटिस जारी की जायेगी। यह नोटिस संलग्न प्ररूप में होगी। नोटिस में यह तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा कि माल स्वामी द्वारा उत्तर प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में देय कर व अर्थदण्ड की धनराशि तथा माल स्वामी के सामने न आने की स्थिति में देय कर व अर्थदण्ड की धनराशि अलग–अलग कितनी देय होगी एवं नोटिस का प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर धारा 129(1)((a)/(b)/(c)) के अन्तर्गत यथास्थिति आदेश पारित करते हुए देय कर एवं

http://abcaus.in

अर्थदण्ड की धनराशि निर्धारित की जायेगी। व्यापारी द्वारा उक्त धनराशि जमा कर दिये जाने पर अथवा माल के मूल्य के समतुल्य माल एवं सेवाकर नियमावली–2017 के नियम 140 में प्राविधानित प्ररूप जीएसटी आईएनएस–04 में बॉण्ड तथा निर्धारित देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि के समतुल्य बैंक गारंटी जमा करने पर प्रश्नगत माल अवमुक्त कर दिया जायेगा एवं धारा 129 के अन्तर्गत जारी नोटिस की कार्यवाही उसी स्तर पर समाप्त हो जायेगी। यदि माल का पविहन करने वाला व्यक्ति या माल का स्वामी उपरोक्तानुसार पारित आदेश के 7 दिन के अन्दर उसमें निर्धारित देय कर एवं अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में माल अथवा वाहन अथवा दोनों की जब्ती की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। यदि माल जल्दी खराब होने वाला या खतरनाक किस्म का है तो प्रापर आफिसर उपर्युक्त सात दिन के समय को कम कर सकेगा। इण्टरसेप्शन मेमो, सत्यापन रिपोर्ट, अभिग्रहण आदेश, एवं धारा 129(3) के अन्तर्गत नोटिस एवं आदेश के प्ररूप इस पत्र के साथ इस आशय से संलग्न किये जा रहे हैं कि इन पर क्रमांक मुद्रित कराते हुए 50–50 प्ररूप तीन प्रतियों में बाइन्डिंग करा ली जाय एवं बाइन्डेड बुक से ही जारी किये जायें। बाइन्डेड बुक्स एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) द्वारा डिप्टी कमिश्नर प्रशासन के माध्यम से छपवाकर इसका विवरण रजिस्टर में दर्ज कर सचलदल इकाईयों को जारी की जायेंगी।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि बिना उचित प्रपत्रों के परिवहन किये जा रहे माल व वाहन के सम्बंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये तथा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

16/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर राज्यकर/वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
2. एडीशनल कमिश्नर मुख्यालय वाणिज्य कर को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. एडीशनल कमिश्नर जीएसटी/विधि/मुख्यालय उ0प्र0 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. एडीशनल डाईरेक्टर वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय वाणिज्य कर उ0प्र0, लखनऊ।

16/08/17

कमिश्नर राज्य कर/वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

http://abcaus.in

क्रमांक.....

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रभारी) राज्य कर/राज्य कर अधिकारी

.....

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 129(1) के अन्तर्गत इण्टरसेप्शन मेमो

वाहन संख्याः ..... दिनांकः ..... समयः .....

इण्टरसेप्शन नम्बर .....

श्री ..... (वाहन चालक/वाहन प्रभारी)

वास्ते सर्वश्री.....

.....

.....

उक्त वाहन को जांच हेतु रोके जाने पर आप के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वाहन की प्रथमदृष्टया जांच पर निम्नलिखित कारणों से आप के वाहन में लदे माल का भौतिक सत्यापन एवं अन्य विस्तृत जांच आवश्यक हैः–

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

अतः उपरोक्त कारणों से उक्त वाहन माल सहित इण्टरसेप्ट किया जाता है/रोका जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि आप के वाहन पर लदे माल का भौतिक सत्यापन दिनांक .... को .....बजे .....(स्थल) पर किया जायेगा जिसमें आप की अथवा आप के प्रतिनिधि की उपस्थिति भी अपेक्षित है।

डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमि0 राज्य कर/राज्य कर अधिकारी
सचलदल/वि0अनु0शा0 इकाई

.....

प्रतिलिपिः– .....पुलिसकर्मी को इस निर्देश के साथ की वे उक्त वाहन को कार्यालय में अपनी अभिरक्षा में रखना सुनिश्चित करें।

डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमि0 राज्य कर/राज्य कर अधिकारी
सचलदल/वि0अनु0शा0 इकाई

http://abcaus.in

क्रमांक.....

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रभारी) राज्य कर/राज्य कर अधिकारी

(सचलदल/वि0अनु0शा0) इकाई.....

सत्यापन रिपोर्ट का प्ररूप

पार्ट–ए

वाहन संख्या..... **दिनांक.....** **समय.....**

अधिकारी का नाम	
जांच का स्थान	
जांच का समय	
वाहन संख्या	
ई–वे–बिल संख्या	
इनवायस/चालान/बिल संख्या	
वाहन प्रभारी का नाम	
माल का विवरण	
माल की घोषित मात्रा	
माल का घोषित मूल्य	
अनियमितता का संक्षेप में विवरण	
क्या माल डिटेन किया गया ?	
यदि नही, तो वाहन अवमुक्त करने का दिनांक व समय	

अधिकारी का हस्ताक्षर नाम व पदनाम सहित

पार्ट बी (केवल माल/वाहन के अभिग्रहण की दशा में भरा जायेगा)

वाहन संख्या..... **दिनांक.....** **समय.....**

माल की वास्तविक मात्रा	
माल की वास्तविक कीमत	
देयकर	
एकीकृत कर	
केन्द्रीय कर	
स्टेट/यू.टी. टैक्स	
सेस	
देय अर्थदण्ड	
एकीकृत कर	
केन्द्रीय कर	
स्टेट/यू.टी. टैक्स	
सेस	
नोटिस का विवरण	
दिनांक	
संख्या	
परिणाम की समरी	

अधिकारी का हस्ताक्षर नाम व पदनाम सहित

http://abcaus.in

क्रमांक .....

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रभारी)राज्य कर/राज्य कर अधिकारी
(सचलदल/वि0अनु0शा0) इकाई .....

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 129(1) के अन्तर्गत अभिग्रहण आदेश

(Seizure order U/S 129(1) of Uttar Pradesh Goods & Services Tax Act 2017)

वाहन संख्याः ..... दिनांकः ..... समयः .....

श्री ..... (वाहन चालक/वाहन प्रभारी)
वास्ते सर्वश्री.....
.....
.....

आपके वाहन संख्या ..... से परिवहित माल एवं सम्बन्धित अभिलेखों एवं प्रपत्रों की जांच पर प्रथम दृष्टया निम्नांकित अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं :–

1. .....
2. .....
3. .....

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि सम्बन्धित माल का परिवहन करापवंचन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। अतः उक्त वाहन संख्या .....एवं निम्नांकित माल को प्रपत्रों सहित उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 129(1) के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिग्रहीत किया जाता है।

(क) अभिग्रहीत माल का विवरणः–

क्रमांक	माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (अनुमानित)
1			
2			
3			

(ख) अभिग्रहीत वाहन का विवरणः–

वाहन संख्या	चेसिस नम्बर	वाहन स्वामी का नाम व पता(आर. सी. के अनुसार)	ट्रान्सपोर्टर का नाम व पता (यदि कोई हो)

(ख) अभिग्रहीत प्रपत्रों का विवरणः–

क्रमांक	अभिग्रहीत प्रपत्रों का विवरण	अभिग्रहीत प्रपत्रों की संख्या	टिप्पणी
1			
2			
3			

डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, राज्य कर
सचलदल/वि0अनु0शा0 इकाई

http://abcaus.in

क्रमांक.....

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रभारी) राज्य कर/राज्य कर अधिकारी
(सचलदल/वि0अनु0शा0) इकाई .....

वाहन संख्या..... दिनांक.....

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 129(3) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस

श्री ..... (वाहन चालक/वाहन प्रभारी)
वास्ते सर्वश्री.....
.....
.....

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 तथा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त वाहन एवं उसमें परिवहन किये जा रहे निम्नांकित माल का अभिग्रहण इस कार्यालय के आदेश संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा किया गया है।

क्रमांक	माल का विवरण	मात्रा	मूल्य (अनुमानित)
1			
2			
3			
4			

क्योंकि प्रथम दृष्टया जांच पर उक्त अभिग्रहण आदेश में इंगित कमियों के आधार पर यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि उक्त माल का परिवहन उक्त अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए किया जा रहा है। अतः आप दिनांक ..... तक उपस्थित होकर कारण बताएं कि क्यों न उक्त माल के मूल्य रू0 .....पर ..... प्रतिशत की दर से देय कर रू0 ..... एवं उसके समतुल्य रू0 .....अर्थदण्ड निर्धारित कर दिया जाये। यह भी अवगत कराया जाता है कि यदि माल के स्वामी नही उपस्थित होते है तो अर्थदण्ड की धनराशि माल के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर देय होगी।

देयकर व अर्थदण्ड की धनराशि जमा करने पर अग्रिम कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जायेगी। देयकर व अर्थदण्ड की धनराशि रू0 .....की जमानत बैंक गारन्टी के रूप में जमा कराकर माल व वाहन अनन्तिम रूप से अवमुक्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

यदि आप नियत दिनांक तक उपस्थित नहीं होते हैं तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार एकपक्षीय रूप से उक्त धनराशि निर्धारित कर दी जायेगी।

डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, राज्य कर
सचलदल/वि0अनु0शा0 इकाई
.....

http://abcaus.in

क्रमांक.....

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रभारी) राज्य कर/राज्य कर अधिकारी

(सचलदल/वि0अनु0शा0) इकाई.....

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 129(3) के अन्तर्गत आदेश

वाहन संख्याः:.....दिनांकः: .....

श्री ..... (वाहन चालक)/वाहन के प्रभारी

वास्ते सर्वश्री.....

.....

.....

उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत आप के गोदाम में रखे माल/उक्त वाहन से परिवहन किये जा रहे माल एवं उससे सम्बंधित अभिलेखों/प्रपत्रों की जांच पर पायी गयी कमियों के आधार पर उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम की धारा 129(3) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस संख्या .....दिनांक .....जारी की गयी थी जिसका उत्तर आप के द्वारा दिनांक .....को दाखिल किया गया है जो निम्न प्रकार है।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

आप द्वारा दाखिल उपरोक्त उत्तर पर विचार किया गया। .....

.....

.....

.....

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आप के द्वारा दाखिल उत्तर सन्तोषजनक नही पाया गया। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त माल का परिवहन करापवंचन के उद्देश्य से प्रेरित है। चूंकि माल के स्वामी उपस्थित हुए है/उपस्थित नही हुए हैं अतः उक्त विवादित माल की अनुमानित कीमत रू0 .... पर रू0 ..... कर व रू0 .....अर्थदण्ड निर्धारित किया जाता है तथा आदेशित किया जाता है कि उक्त धनराशि दिनांक.....तक जमा कर दें अन्यथा उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 130 के प्राविधानों के अन्तर्गत माल/वाहन की जब्ती की कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, राज्य कर
सचलदल/वि0अनु0शा0 इकाई

.....